

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग (१)

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग (१)

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग नवम भाग

१ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २६] काठमाडौं, माघ १० गते २०३३ साल [अतिरिक्ताङ्क ३६ (क)

श्री ५ को सरकार

कानून तथा न्याय मन्त्रालयको

सूचना

विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ।

जनकपुर अञ्चल अदालतका अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर षेठको एक सदस्यीय विशेष अदालत गठन गरिएको छ।

सो विशेष अदालतलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१६ अन्तर्गत देहायका मुद्दाहरू सो मुद्दा मुलतवी वा दायर रहेको मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतबाट झिकी मुलतवी रहेकोमा मुलतवी समेत जगाई कारबाई किनारा गर्न सुम्पिएको छः-

(क) राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१६ को दफा १० बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुलतवी रहेका :-

(१) वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत भएको लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध हात हतियार बरामद भएको मुद्दा-

आधिकारिकतः मुद्दा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(२)

नेपाल राजपत्र भाग ३

- (२) वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत भएको धरान फुसरे प्रहरी व्यारेकमा हाते बम हान्न लाग्दा बमबहादुर पक्राउ भएको मुद्दा — — — — — १
- (३) वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत भएको अशोककुमार समेतले बम पेस्तोल उठाई अव्यवस्था उत्पन्न गरेको मुद्दा — — — — — १
- (४) वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत भएको पञ्चायत व्यवस्थालाई पल्टाई लोकतन्त्र समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने नुवाकोट, धादिङ्ग, रसुवामा जनक्रान्ति गर्नु पर्छ मुद्दा — — — — — १
- (५) वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत भएको हैण्ड ग्रिनेड बरामद भएको मुद्दा — — — — — १
- (६) वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत भएको जनता भड्काई अशान्ति गराई सशस्त्र क्रान्ति गरी व्यवस्थालाई पल्टाउन पर्छ भन्ने मुद्दा — — — — — १

(ख) राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१६ को दफा १० बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दायर रहेको :-

वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत भएको हैण्ड ग्रिनेड डिटोनेटर समेत र “स्पिड फायर” पत्रिका बरामद भएको मुद्दा — — — — — १

(ग) नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३०।३।३१ को कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम गठित विशेष अदालतमा दायर रहेको :-

वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान समेत भएको भू. पू. क. प. यज्ञबहादुर समेतले सोलु र ओखलढुङ्गामा हतियार समेत उठाई अशान्ति गर्ने उद्योग गरेको राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१६ अन्तर्गतको मुलतवी रहेको मुद्दा — — — — — १

सो विशेष अदालतले आफ्नो इजलाश नेपाल अधिराज्यभित्र जहाँसुकै कायम गर्न सक्नेछ ।

आज्ञाले-

चूडामणिराज सिंह मल्ल

श्री ५ को सरकारको सचिव

श्री ५ को सरकारको छापाखाना, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

९६४

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।